मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
इलाहाबाद–211004 (भारत)
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Allahabad-211004 [India]

No. CWM/Auction/Trees/2018-19/ Date: 29/08/2018

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में स्थिति विभिन्न प्रजाति के 20 (बीस) नग सूखे खड़े वृक्षों की नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म/संगठन वृक्षों को देखने के लिए इस कार्यालय के अधिशाषी अभियन्ता से सम्पर्क करें। नीलामी की तिथि, समय व स्थान एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है। नीलामी के लिए वृक्षों की सूची कार्यालय के सूचना पट्टे पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है एवंम् इच्छुक व्यक्ति नीलामी सूचना तथा शर्तें संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

1.	नीलामी का स्थान	:	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता प्रशासनिक भवन, मो0ने0रा0प्रौ0सं0 इलाहाबाद
2.	वृक्ष/शाखाओं को दिखाने की तिथि व समय	:	12.09.2018 (10:30 बजे प्रातः से 12:30 बजे दोपहर के मध्य में)
3.	नीलामी का दिन व समय	:	17.09.2018 (3:00 बजे दोपहर)
4.	धरोहर की राशि/ धनराशि (अर्नेस्ट मनी)	:	रू0 10,000/– (रू0 दस हजार रूपये मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद [Director, MNNIT Allahabad] के नाम से बना बैंक ड्रॉफ्ट

मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
इलाहाबाद–211004 (भारत)
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Allahabad-211004 [India]

No. CWM/Auction/Trees/2018-19/ Date: / / 2018

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मो०ने०रा०प्रौ० संस्थान इलाहाबाद के शैक्षिक, आवासीय एवं छात्रावास परिसर में 20 नग सूखे खड़े वृक्ष स्थित है। जिसकी नीलामी दिनांक 17.09.2018 को 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किया जाना है।

अतः उपर्युक्त दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हो कर नीलामी में भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्तें

1. केवल वही व्यक्ति नीलामी स्थल पर उपस्थित रह सकते हैं जिन्होनें धरोहर राशि जमा की हो या अपने साथ डीडी/एफडीआर के रूप में लाये हों। उनके अतिरिक्त उनके सहायकों को नीलामी स्थल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्टेड किये गये व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीलामी में पहले धरोहर राशि के रूप में रू0 10,000.00 जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि, राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हुआ बैंक ड्रॉफ्ट जो कि निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के पक्ष में देय हो द्वारा ली जायेगी।
3. बोली समाप्त होने के बाद सफल बोली देने वाले व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, शेष रूपया नीलामी की स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय द्वारा निर्धारित समय (20 दिन) में जमा करना होगा, अन्यथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और वृक्षों को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
4. बोली अनुमानित न्यूनतम मूल्य से कम धनराशि पर स्वीकृति नही की जायेगी।

मनीष कुमार

5. निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद को बिना कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार है।

6. इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति नीलामी में भाग ले रहा है, बोली स्वीकृति होने के बाद केवल उसी के नाम पर अधिकार पत्र जारी किया जाएगा तथा केवल उसी को वृक्ष कटवाने का अधिकार होगा । उस समय व्यक्ति को नीलामी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानान्तरित करने/सबलेट करने/ दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है। यदि इस नीलामी के समय या उसके बाद यह पाया गया कि उच्चतम बोली बोलने वाले ने किसी के छद्म नाम/फर्म में नीलामी ली है या उसे किसी अन्य दूसरे व्यक्ति फर्म को सबलेट कर दिया है या पेटी कांट्रेक्ट दे दिया है तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी बोली की राशि/धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी एवं नीलामी पुनः की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म में 3 या 4 पार्टनर है तथा कोई व्यक्ति उस फर्म के पार्टनर की हैसियत से बोली लगा रहा है तो नीलामी शुरू होने से पहले ही उसे फर्म के पार्टनरशिप से संबंधित सभी सरकारी वैध कानूनी दस्तावेज जैसे इनकम टैक्स क्लीएरेन्स सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड (जिसमें सभी पार्टनर्स के नाम हो) आदि प्रस्तुत करने होंगें। नीलामी के बाद इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नही होगा।

7. बोली में लिए गए वृक्षों को 20 दिनों के अन्दर काटना होगा। यदि ठेकेदार उक्त अवधि के अन्दर वृक्षों को नही काट पाता है तो उन बचे वृक्षों को अवधि समाप्त होने के पश्चात जब्त कर लिया जायेगा और फिर से नीलाम कर दिया जाएगा।

8. ठेकेदार वृक्षों को काटते समय किसी प्रकार की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचायेगा। जैसे मकानों का टूटना, बिजली के तारों, अन्य वृक्षों इत्यादि का टूटना आदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो ठेकेदार उसे अपने खर्चे पर बनवाकर देगा अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नियमानुसार ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

9. ठेकेदार कोई भी वृक्ष सरकारी अवकाश व रविवार को नहीं काटेगा और न ही कोई प्रकाष्ठ संस्थान परिसर से बाहर ले जायेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो प्रकाष्ठ तथा 20 प्रतिशत जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

अनिल कुमार

10. वृक्षों के काटने की शुरूआत से पहले ठेकेदार इस कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करेगा कि किस समय वृक्ष काटने जा रहा है तथा इस कार्यालय के अधिशाषी अभियन्ता या प्रतिनिधि के सामने ही वृक्ष काटे जाएंगे।

11. वृक्षों के काटने के बाद ठेकेदार को जमीन से जड़ निकालकर जमीन बराबर करनी होगी तथा ऐसा न होने पर उसकी जमानत राशि वापस नहीं होगी।

12. वृक्षों की कटान सुबह 8:00 से सांय 5:00 बजे तक ही कर सकते है तथा प्रकाष्ठ का उठान सांय 6:00 बजे के बाद संस्थान परिसर के बाहर नहीं होगा इसके बाद यदि कोई ठेकेदार प्रकाष्ठ का कटान करता है तो उसका आर्डर निरस्त कर दिया जाएगा।

13. नीलामी में विवाद की स्थिति में निदेशक मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद का निर्णय अंतिम होगा और कानूनी तौर पर मान्य होगा।

14. सक्षम अधिकारी नीलामी के समय वृक्षों की संख्या घटा–बढ़ा सकते है।

15. यदि वृक्षों को काटने के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार ने नीलाम किए गए वृक्षों /शाखाओं के अतिरिक्त कोई अन्य वृक्ष काट लिया है या उनको नुकसान पहुँचाया है तो नीलामी निरस्त करके उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उससे हर्जाना वसूलने के साथ-साथ पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी। इस स्थिति में उनको इस कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयों से ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।

16. वृक्षों की नीलामी "जैसी है, जहाँ है", के आधार पर है इसलिए वृक्षों की नीलामी से पहले सम्बन्धित ठेकेदार को वृक्षों को देखने के समय स्वंय इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि वृक्षों की संख्या, प्रकार तथा माप-स्थिति क्या हैं इसके बारे में नीलामी के बाद किसी तरह का विवाद या दावा मान्य नहीं होगा। यदि नीलामी के बाद उसकी स्वीकृति उच्च अधिकारियों से आने में कुछ समय लग जाता है तो इस अवधि में यदि नीलाम किए वृक्षों में से कुछ वृक्ष स्थल पर गिर जाते है तो इस विषय में ठेकेदार से कोई भी दावा या विवाद या पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।

मनीष कुमार

17. वृक्षों को काटने के पश्चात उठवाने के समय या उसके बाद यदि ठेकेदार से किसी व्यक्ति का कानूनी/सिविल या फौजदारी का विवाद होता है तो उस विवाद में न तो यह कार्यालय पार्टी बनेगा और न ही उसके लिए जिम्मेदार होगा।

18. सम्बन्धित संस्थान में कार्य करते हुए ठेकेदार पर उस सम्बन्धित संस्थान परिसर के सभी नियम लागू होगें।

19. ठेकेदार को वन विभाग/पुलिस विभाग आदि से सम्बन्धित औपचारिकताएं जैसे परमिट/ट्रांजिट परमिट आदि स्वयं ही लेना पड़ेगा तथा नियमानुसार देय शुल्क भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा जो कि इस कार्यालय का उत्तरदायित्व नहीं है।

20. सभी बोलीदाताओं के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है एवं उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति भी देनी होगी।

21. उच्चतम बोली बोलने वाले को उच्चतम बोली पर आयकर अधिनियम के अर्न्तत देय शुल्क का भुगतान करना होगा।

22. बोली कम से कम रू0 100/– के गुणकों में आगे बढ़ेगी।

23. सफल बोलीदाता को अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो 4 (चार) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी।

24. यदि ठेकेदार इस नीलामी में भाग ले रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा उससे सहमत है तथा उसने सभी वृक्ष देख लिए है। इस विषय में भविष्य मे कोई विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

25. सभी कानूनी विवादों का क्षेत्र इलाहाबाद न्यायालय होगा।

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता

<u>वृक्षों की विवरण सूची</u>

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के परिसर में स्थित में 20 सूखे वृक्षों का विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' सलंग्न है।

मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता

(अ)

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के परिसर में स्थित दिये गये 20 सूखे वृक्षों का विवरण निम्न है :–

कन सं0	वृक्षों का विवरण	संख्या	स्थान
		छात्रावास परिसर	
1.	इनली	01	मालवीय छात्रावास
2.	अमलतास	01	पटेल छात्रावास
		आवासीय परिसर	
3.	शीशम	01	ए–बी पार्क
4.	आम	01	बी 23
5.	आम	01	बी–23
6.	आम	01	ए–07
7.	आम	01	ए–10
8.	नीम	01	बी–22
9.	यूकेलिप्टस	01	ई0डी0सी0
10.	बाटल पाम	01	ई0डी0सी0
11.	आम	01	ए–09
12.	आम	01	बी–13
13.	शीशन	01	स्वास्थ्य केन्द्र
		शैक्षणिक परिसर	
14.	शीशन	01	एस0एम0एस0
15.	शीशम	01	प्रशासनिक भवन के पीछे
16.	शीशम	01	कैन्टीन के पास (यादव कैन्टीन)
17.	शीशग	01	कैन्टीन के पास (यादव कैन्टीन)
18.	शीशम	01	सर्वे लैब
19.	सैजन	01	फल उद्यान के पास
20.	कदम्ब	01	जनरेटर हाउस के पास

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता